

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी:-डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -9/2025 (अपील)

जीसीएमएस नं० 2025/16

1. रतनलाल आत्मज केशवलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

--अपीलान्ट.

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

--रेस्पोंडेन्ट.



अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध
नामान्तरकरण सं० 564 दिनांक 20.04.2016 तहसीलदार
लाडपुरा

उस्थिति

1. श्री ललित किशोर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक-10.02.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गंगायचा में खाता संख्या 118,119,121 के खातेदार रामनाथ, केशवलाल पिता श्योलाल फोट होने पर खातेदार के वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 564 दिनांक 20.04.2016 को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसमें अपीलांट का नाम रामरतन दर्ज किया गया है ।
2. अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 20.04.2016 में अपीलान्ट का नाम रतनलाल के स्थान पर रामरतन गलत दर्ज होना बताते हुए नाम दुरुस्ती हेतु यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.01.2025 को पेश की गई है । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । परोकार सरकार एवं वकील अपीलांट की बहस सुनी गई ।
3. वकील अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट का नाम बिना आधार के ही गलत दर्ज कर दिया । अपीलांट को बिना जानकारी व सूचना दिये दर्ज किया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट के सभी सरकारी दस्तावेज में अपीलान्ट का नाम रतनलाल दर्ज है जबकि इंतकाल में रामरतन दर्ज कर दिया । अपीलान्ट को उक्त इंतकाल की हाल ही में जानकारी दिनांक 18.12.2024 को बैंक में ऋण लेने के लिये जाने व मैनेजर द्वारा बताने पर नाम की जानकारी हुयी जिस पर नकल प्राप्त कर अवधि मध्य अपील प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त कर अपीलान्ट का नाम रामरतन के स्थान पर रतनलाल दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें ।
4. परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के पहचान के दस्तावेजों के आधार पर जांच कर नाम दुरुस्त किया जा सकता है ।
5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट का अपील में मुख्य कथन है कि उनके पिता केशवलाल फोट होने पर उनका फोती इंतकाल नं० 564 दिनांक 20.4.2016 को दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है, जिसमें अपीलांट का नाम रतनलाल के स्थान पर रामरतन दर्ज कर दिया है, जबकि अपीलांट के अन्य सरकारी दस्तावेजों में नाम रतनलाल होना बताते हुए आधार की प्रति,मतदाता पहचान पत्र, एवं पेन कार्ड की प्रति पेश की गई है, जिनमें अपीलांट का

जिला कलेक्टर
कोटा

नाम रतनलाल पिता का नाम केशूलाल दर्ज है । अपीलांट अपीलाधीन नामान्तरकरण में रामरतन के स्थान पर रतनलाल दर्ज करवाना चाहते हैं । अपीलांट ने प्रस्तुत दस्तावेजों से अपीलांट का नाम रतनलाल होना जाहिर आया है । ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को जांच कर कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा ।

6. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 564 दिनांक 20.4.2016 अपीलांट का नाम दुरुस्ती की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विस्तृत जांच करते हुए, नामान्तरकरण में अन्य सभी पक्षकारों को सुना जाकर, सहमति लेते हुए एवं आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य ली जाकर उचित निर्णय पारित करें । नामान्तरकरण का शेष भाग एवं हिस्सा यथावत रहेगा ।
7. निर्णय आज दिनांक 10.2.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलक्टर
कोटा

